# न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 182/2022 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 01.09.2022
G.C.M.S. NO. :_ 2022/182

राज कुमार पिता श्री रंगलाल जाति धाकड़ उम्र 27 वर्ष निवासी जयसिंहपुरा, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–निगराकार

बनाम

1–धनराज पिता उंकार लाल धाकड़ उम्र 50 वर्ष, निवासी जयसिंहपुरा, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–बंशीलाल पिता बद्रीलाल धाकड़ उम्र बालिग, निवासी जयसिंहपुरा, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3–ग्राम पंचायत मुंझवा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मुंझवा पंचायत समिति बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–गैर निगराकारगण/विपक्षीगण

**निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम, 1994 विरूद्ध मिसल संख्या 89 दिनांक 20.10.2021 की अनुपालना में दिनांक 09.11.2021 को जारी पट्टा संख्या 37 ग्राम पंचायत मुंझवा**

उपस्थिति : 1–श्री राकेश पुरी गोस्वामी, अधिवक्ता निगराकार

| प्रकरण संख्या 182/2022 (नि.पं.) |
| --- |
| राजकुमार पिता रंगलाल धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा, तहसील बडीसादडी बनाम धनराज पिता उंकार लाल धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा, तहसील बडीसादडी वगैरा |

## निर्णय

**दिनांक 19.07.2024**

निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है अधीनस्थ ग्राम पंचायत मुंझवा द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पुश्तैनी पट्टा संख्या 37 दिनांक 09.11.2021 न्याय नियम एवं वाक्याती तथ्यों के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने विपक्षी संख्या 1 का विवादित भूखण्ड पर पुराना कब्जा होना बताकर पट्टा जारी किया गया है जबकि उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व माता-पिता, भाई, पडौसियों का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है जो विपक्षी संख्या 1 के भाई मदन लाल से नहीं लिया गया है तथा तीन पंचों को मौका रिपोर्ट हेतु दिनांक 20.08.2021 को निरीक्षण रिपोर्ट प्रपत्र अनुसार नियुक्त किया गया एवं पंचों द्वारा दिनांक 20.08.2021 को ही लगभग 100 से अधिक आवेदन में निरीक्षण कर उसी दिनांक को रिपोर्ट तैयार कर ली जो कि संभव नहीं है पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायती राज नियमों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टा निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत मुंझवा द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 37 दिनांक 09.11.2021 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण को सूचना पत्र जारी किये गये। गैर निगराकारगण के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से गैर निगराकारगण की अनुपस्थिति रेकार्ड की गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत मुंझवा से पट्टे से संबंधित अभिलेख तलब किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से पट्टे से संबंधित अभिलेख प्राप्त होने पर बहस प्रकरण अधिवक्ता निगराकार सुन प्रकरण गुणावगुण पर देखा गया।

विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने कथन किया कि पुश्तैनी पट्टा जारी करने से पूर्व माता-पिता, भाई एवं पडौसी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होता है किन्तु अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार संख्या 1 के भाई मदनलाल का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया। आवेदन पत्र के साथ 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के शपथ-पत्र प्रस्तुत करने होते हैं जो पत्रावली मे मौजूद नहीं है क्योंकि सम्पूर्ण पत्रावली/मिसल बैक डेट में तैयार की गई है मिसल की आदेशिका अनुसार वार्ड पंच प्रकाशचन्द्र, प्रेमबाई एवं कमलेश को मौका रिपोर्ट बनाने हेतु नियुक्त किया गया जबकि कमलेश के मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं है उक्त पंचों को दिनांक 20.08.2021 को मौका व नजरी नक्शा बनाने हेतु नियुक्त किया गया है उनके द्वारा 100 से अधिक आवेदन पर उसी दिनांक को रिपोर्ट तैयार

कर ली गई जो किसी भी तरह से सम्भव नहीं है जो कि पूरे प्रकरण को संदिग्ध बनाता है। पट्टा जारी करने से पूर्व संकल्प संख्या 1 दिनांक 20.09.2021 को इश्तिहार जारी करना बताते हैं पर इश्तिहार कहां चस्पा किये, किस दिनांक को चस्पा किये तथा किन व्यक्तियों के सामने चस्पा किये इसका कोई उल्लेख प्रपत्र में नहीं है। मिसल संख्या 89 की आदेशिका पर आवेदन स्वीकृत शुल्क, स्थल निरीक्षण एवं नक्शा शुल्क 70/- रूपये जमा किये जाने का अंकन है परन्तु रसीद संख्या, दिनांक एवं राशि जमा करने का अंकन खाली छोडा गया है कोरम किस दिनांक को हुई इसका भी कोई अंकन नहीं है सचिव के सम्पूर्ण पत्रावली में कहीं कोई हस्ताक्षर नहीं है इस प्रकार अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही एक ही दिवस में कार्यालय में बैठे-बैठे ही गुपचुप तरीके से खानापूर्ति करते हुए पट्टा जारी कर दिया जो न्याय एवं नियमों के विपरीत होने तथा विधि-विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 37 दिनांक 09.11.2021 निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता निगराकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा विवादित पट्टे से संबंधित प्रस्तुत अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया एवं प्रकरण गुणावगुण पर देखा। जिसके अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर के बैठक दिनांक 20.08.2021 में प्रस्ताव संख्या 1 में तीन वार्ड पंचों कमलेश, प्रकाश एवं प्रेमबाई की कमेटी बनाकर मौका पर्चा रिपोर्ट बनाकर आगामी बैठक में पेश करने का निर्णय लिया गया है जिसमें कुल 103 व्यक्तियों के नाम दर्ज किये हुए हैं जिनके आवेदनों पर मौका रिपोर्ट बनाई जानी है जबकि गैर निगराकार संख्या 1 को पट्टा जारी करने हेतु जारी मिसल क्रमांक 89 में दिनांक वाले कॉलम को रिक्त छोड़ा गया है और कार्यवाही विवरण वाले कॉलम में दिनांक 20.08.2021 को ही मिसल कायम करने से लेकर स्थल निरीक्षण करने एवं उजरदारी नोटिस जारी करने तक की कार्यवाही कर लिये जाने का अंकन किया हुआ है अर्थात् उसी दिवस तीनों वार्ड पंचों द्वारा पूरे 103 ही आवेदनों में स्थल निरीक्षण किया जाकर मौका रिपार्ट प्रस्तुत कर दी गई है जो कि किसी भी प्रकार से संभव नहीं है जबकि बैठक कार्यवाही विवरण में मौका रिपोर्ट आगामी कोरम में पेश किये जाने का अंकन है। बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर में बैठक दिनांक 20.08.2021 में दर्ज प्राप्त आवेदनों में क्रम संख्या 1 से 97 तक अंकित नामों में लेखनी (हैण्ड राईटिंग) अलग है तथा क्रम संख्या 98 से 103 की लेखनी (हैण्ड राईटिंग) अलग है जिससे स्पष्ट है कि क्रम संख्या 98 से 103 तक के नाम बाद में जोडे गये हैं। जिसमें गैर निगराकार संख्या 1 का नाम क्रम संख्या 100 पर

| प्रकरण संख्या 182/2022 (नि.पं.) |
| --- |
| राजकुमार पिता रंगलाल धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा, तहसील बडीसादडी बनाम धनराज पिता उंकार लाल धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा, तहसील बडीसादडी वगैरा |

दर्ज है इसी प्रकार बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर की बैठक दिनांक 20.10.2021 में आपत्ति प्राप्त नहीं होने का अंकन कर क्रम संख्या 1 से 90 तक व्यक्तियों के नाम अंकित कर पट्टा जारी करने का निर्णय लिये जाने का अंकन है उसमें भी दर्ज व्यक्तियों के नामों की सूची में क्रम संख्या 1 से 86 तक अंकित नामों में लेखनी (हैण्ड राईटिंग) अलग है तथा क्रम संख्या 87 से 90 तक अंकित नामों की लेखनी (हैण्ड राईटिंग) अलग है जिसमें भी क्रम संख्या 89 पर गैर निगराकार संख्या 1 का नाम अंकित है जिससे स्पष्ट है कि उक्त दिनांक में भी क्रम संख्या 87 से 90 तक अंकित व्यक्तियों के नाम बाद में जोड़ा जाना स्पष्ट प्रतिवेदित है।

गैर निगराकार संख्या 1 के नाम पट्टा जारी करने हेतु कायम मिसल क्रमांक 89 का अवलोकन किया गया जिसमें दिनांक 20.09.2021 में आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु इश्तिहार जारी करने का अंकन कर सात दिवस का आपत्ति नोटिस (उजरदारी नोटिस) जारी करने का अंकन है तथा पुनः उसी दिनांक 20.09.2021 में, दिनांक 27.09.2021 तक भी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने का अंकन करते हुए नियम 157 (1) के तहत नियमानुसार शुल्क राशि प्राप्त कर पट्टा जारी करने का सर्व सम्मति से निर्णय लिये जाने का अंकन किया गया है जो कि दिनांक 20.09.2021 में ही अंकन किया हुआ है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियमों के तहत पट्टा जारी करने से पूर्व नियम 148 अनुसार आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु उजरदारी नोटिस एक महीने की अवधि के लिये जारी किये जाने का प्रावधान है किन्तु हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा 1 महीने का नोटिस जारी नहीं करके मात्र 07 दिवस का उजरदारी नोटिस जारी किया गया है तथा उक्त नोटिस किन व्यक्तियों के समक्ष विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि के सहजदृश्य स्थान पर चस्पा किया है किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति के हस्ताक्षर नहीं है।

अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा मिसल में अंकन अनुसार गैर निगराकार संख्या 1 से आवेदन शुल्क, स्थल निरीक्षण शुल्क एवं नक्शा शुल्क के कुल 70/-रूपये तथा नियम 157(1) के तहत पट्टा शुल्क राशि 100/-रूपये जमा कर पट्टा जारी करने का अंकन किया है किन्तु अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत अभिलेख में शुल्क जमा करने संबंधित कोई रसीद उपलब्ध नहीं है तथा रोकड़ बही का अवलोकन करने पर रोकड़ बही में भी उक्त शुल्क जमा संबंधी कोई अंकन नहीं है जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को पट्टा जारी करने से पूर्व उससे विधिवत् शुल्क प्राप्त कर जमा नहीं किया गया है तथा राजकोष को हानि पहुंचाई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ग्राम पंचायत से प्राप्त पत्रावली/अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व विधिवत् पंचायती राज अधिनियमों की पूर्ण पालना नहीं की गई है तथा कार्यालय में बैठे–बैठे ही मात्र कागजी खानापूर्ति करते हुए एक ही दिवस में सम्पूर्ण मिसल तैयार किया जाना स्पष्ट प्रतिवेदित है। उक्त तथ्यों के आधार पर गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में मिसल संख्या 89 से दिनांक 09.11.2021 को पट्टा जारी करने की कार्यवाही उचित प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत मुंझवा, पंचायत समिति, बडीसादडी द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में संकल्प संख्या 1 दिनांक 20.10.2021 की अनुपालना में जारी पट्टा कमांक 37 दिनांक 09.11.2021 निरस्त किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।'

**(राकेश कुमार)**

Web Copy - Not Official